UPEW010044282025

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)**

(J.O. Code– UP01632)

विशेष वाद सं०/1256/2025

उ०प्र० राज्य बनाम नानक

मु०अ०सं०–959/2022
धारा–135 विद्युत अधिनियम
थाना–ए.पी.टी., जिला–इटावा।

दिनांक–23.05.2026

1. पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त उपस्थित।

2. अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र 14ख/1 मयशपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा विद्युत विभाग की समस्त धनराशि जमा कर दी गयी है। प्रार्थी 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है और बी.पी. का मरीज है तथा अपने मुकदमे में पैरवी कर पाने में असमर्थ है। प्रार्थी द्वारा अपने शपथ पत्र में कथन किया गया है कि इससे पूर्व शमनीय आधार पर कोई मुकदमा निर्णीत नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त मुकदमा की कार्यवाही समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

3. उपर्युक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) की ओर से अपनी आख्या अंकित कर कथन किया गया है कि अधिशाषी अभियन्ता के पत्रांक सं०–4170 दिनांक 06.11.2025 के अनुसार राजस्व शुल्क 24500/–रुपये व शमन शुल्क 8000/–रुपये दिनांक 06.11.2025 को जमा कर दिया गया है। वाद के निस्तारण में कोई आपत्ति नहीं है।

4. उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में अधिशाषी अभियन्ता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० इटावा द्वारा निर्गत पत्र संख्या 4170/वि0 वि0 ख 0 तृती०सैं0/ दिनांकित 06.11.2025 की छायाप्रति दाखिल की गयी हैं, जिसके अनुसार अभियुक्त द्वारा राजस्व निर्धारण धनराशि 24500/–रुपये व शमन शुल्क 8000/–रुपये जमा कर दी गयी है। विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) द्वारा

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.05.23 13:28:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

शमन के आधार पर अभियोग की कार्यवाही समाप्त किये जाने में सहमति व्यक्त की गयी है।

6. प्रस्तुत प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत शमनीय है। अतः न्यायहित में विशेष वाद शमन किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त नानक के विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा–152 के आधार पर शमन करते हुये, विशेष वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। तदनुरूप अभियुक्त नानक को दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, अभियुक्त का बन्धपत्र निरस्त किया जाता है तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632